Legislation for incorporating right to work as Fundamental Right

522. SHRI SHIV PRATAP MISHRA:
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are committed to give the people its right-to-work by incorporating the same in Fundamental Rights in the Constitution;

(b) if so, whether Government propose to introduce a legislation in the current session to make the right to work as fundamental right;

(c) if so, what are the details in this regard;

(d) whether it is also a fact that Government had already ascertained the number of unemployed and had formulated necessary programmes for providing employment to at least one person per family, in the first phase;

(e) the expected period of commencement of the programme and the number of unemployed going to be benefited as a result thereof; and

(f) what would be the estimated annual expenditure to the exchequer in this regard ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (f): Government is committed to Right to Work for every citizen, and propose to introduce a bill to make the Right to Work a Fundamental Right in the Constitution. Further details are being worked out.

मध्य प्रदेश में शीत-भंडारगृह संबंधी सुविधायें

523. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के किसानों को, उनके कृषि-उत्पाद का समुचित मूल्य प्राप्त होने तक उसे रखे जाने के लिए इस समय उपलब्ध शीत-भंडारगृह संबंधी क्षमता का कोई आकलन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शीत-भंडारगृह संबंधी सुविधाओं की वर्तमान क्षमता को पर्याप्त होना पाया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार शीत-भंडारगृह संबंधी विद्यमान क्षमता को बढ़ाने के लिए नई रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ अन्य राज्यों में राज्य सरकारों केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सुविधायें प्रदान की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) मध्य प्रदेश में 206472 मीटरी टन की क्षमता वाले 109 शीत भंडारगृह हैं ।

(ख) यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या वर्तमान शीत-भंडारण संबंधी सुविधायें पर्याप्त हैं, कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय शीत-भंडारण आदेश 1980 को लागू करता है । शीत भण्डारण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन तथा अन्य सहायता प्रदान की जाती है ।